पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/कार्मिक
हाजीपुर

सं0:– ईसीआर/एचआरडी/मु.क.क.नि./सेलेक्शन/254/20% एलडीसीई/19 दिनांक–25.02.2019

- मंडल रेल प्रबंधक/का0/पूर्व मध्य रेल, दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
- अध्यक्ष, रे0भ0बो0/महेन्द्रूघाट/पटना।
- अध्यक्ष/आरआरसी/दीघाघाट/पटना।
- उप मुकाधि/निर्माण/महेन्द्रूघाट/पटना।
- मुख्य कारखाना प्रबंधक/समस्तीपुर, पीडी0/मुगलसराय एवं सीआरडब्ल्यू/हरनौत।

विशयः–20% LDCEकोटे के तहत कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (SWI)से मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (CSWI), वेतन बैंड–2, ग्रेड वेतन ₹4600 लेवल–7 पद का चयन।

****

मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (CSWI)वेतन बैंड–2, ग्रेड वेतन ₹4600 लेवल–7 में 20%LDCE कोटे के अन्तर्गत कुल निम्नलिखित रिक्तियों को भरने हेतु ग्रेड वेतन ₹4200 में कार्यरत कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (SWI)से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:–

रिक्तियों की कुल सं0 10 (UR-07, SC-02 & ST-01)

<u>पात्रता की शर्तें</u>:–

पूर्व मध्य रेल में कार्यरत स्नातक कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक(SWI)वेतन बैंड–2, ग्रेड वेतन ₹4200 लेवल–6, जो अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि को कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (SWI)पद पर नियमित दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (CSWI)वेतन बैंड–2, ग्रेड वेतन ₹4600 लेवल–7 के पद पर चयन हेतु पात्र होंगे/होगी।

चयन की प्रक्रियाः–

(I) रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0 161/2009 के अनुसार यह चयन पूर्णतः प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी एवं नामिका मेरिट के आधार पर बनाई जाएगी। रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0 196/2018 के अनुसार सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे।

(II) प्रश्नों के उत्तरों में किसी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जैसे– काटना, ओवर राइटिंग, लिखा हुआ मिटाना, एक बार दिया गया उत्तर काट देना या किसी अन्य उत्तर को चिन्ह करना, किसी भी प्रकार से उत्तर में परिवर्तन करना इत्यादि। सुधार किया गया उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(III) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ⅓ निगेटिव अंक प्रदान किया जायेगा। जो कुल प्राप्तांक में से घटाया जायेगा।

(IV) रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0 102/2005 के अनुसार चयन में लिखित परीक्षा एवं सेवा के अभिलेखों का आकलन सम्मिलित रहेगा। लिखित परीक्षा में निष्पादन (Performance)के लिए 85% तथा सेवा के अभिलेख के लिए 15% अंक दिये जायेंगे। अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के लिये समान्य छूट के प्रावधानों के अतिरिक्त सम्पूर्णतः 60%से कम अंक प्राप्त करने वाले, अभ्यर्थी नामिका में सम्मिलित किये जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार केवल उन्हीं उम्मीदवारों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकण किया जायेगा जो लिखित परीक्षा में न्यूनतम 60%अंक प्राप्त करेंगे।

क्रमशः पृ0/02 पर

25.02.19

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

(V) पात्र स्नातक कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (SWI)इसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अग्रिम सूचना समझेंगे। उम्मीदवारों को अपने साथ बॉल पेन (काला एवं ब्लू स्याही) स्वयं लाना होगा। इस कार्यालय से प्रश्न–पत्र एवं उत्तर–पुस्तिका की आपूर्ति की जाएगी।

(VI) 20% एलडीसीई के तहत मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थी को रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0 133/2012 के तहत निर्धारित 21 दिनों का प्रशिक्षण, कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र/जोधपुर में प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(VII) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि Annexure-A में संलग्न है।

पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत स्नातक कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (SWI)जो उपरोक्त वर्णित शर्तों को पूरा करते हों और लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक हों, संलग्न आवेदन–पत्र प्रारूप(Annexure-B)पर अपना आवेदन संबंधित मंडल/यूनिट के कार्मिक अधिकारी को दिनांक 25.03.2019 से पहले अवश्य प्रस्तुत करेंगे। संबंधित मंडल/यूनिट के कार्मिक अधिकारी कर्मचारियों का सेवा विवरण उनके सेवा अभिलेख से जॉच कर, केवल पात्र कर्मचारी कल्याण निरीक्षकों का आवेदन दिनांक 01.04.2019 तक सकाधि/एमएण्डई के नाम अग्रसारित कर विशेष वाहक द्वारा एक बंच में भेजना सुनिश्चित करेंगे। उक्त तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। बिना निर्धारित प्रोफार्मा, बिना हस्ताक्षर तथा बिना संबंधित कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अतः सभी संबंधित मंडल/यूनिट के कार्मिक अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर इसे लगावे तथा इसका व्यापक प्रचार करें एवं यदि कोई कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (SWI)प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हों तो उन्हें भी सूचित करना संबंधित लियन धारित कार्मिक विभाग की जिम्मेवारी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का सेवा विवरण गलत प्राप्त होता है तो उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी। चयन होने के उपरांत भी उम्मीदवारी निरस्त हो सकती है।

संलग्नकः–Annexure- A&B

(कवीन्द्र कुमार दास)
सकाधि/एमएण्डई
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुकाधि के सचिव– प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. वरि0 उप महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर।
3. मुकाधि/प्र0 के निजी सचिव–।।, मुकाधि/प्र0 महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. मुकाधि/आई.आर. महोदय के गोपनीय सहायक– मुकाधि/आई.आर. महोदय के सादर सूचनार्थ।
5. उपमुकाधि/राजपत्रित, एचआरडी एवं आई.आर./पूमरे/हाजीपुर।
6. वकाधि/राज0, एमपीपी, भर्ती एवं आई.आर./पूमरे/हाजीपुर।
7. वरि0विधि अधिकारी/पूमरे/हाजीपुर।
8. जीएस/ईसीआरकेयू।
9. नोटिस बोर्ड
10. वकाधि/एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर को पूमरे की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

Annexure-'A'

SYLLABUS FOR THE POST OF CHIEF STAFF & WELFARE INSPECTOR (PB- 9300-34800, GP-4600/-)

1. Writing skills.
2. RLT A ward and Hours of Employment Regulation.
3. Welfare activities for Railway employees:–
   (a) Staff Benefit Fund.
   (b) School policy on railways.
   (c) Cultural activities.
   (d) Recreation centres and clubs.
   (e) Handicraft centres.
   (f) Canteens.
   (g) Co-operative stores/Societies.
   (h) Sports activities.
   (i) Scouts and Guides.
   (j) Holiday Homes.
4. Employment on Compassionate Grounds.
5. Medical examination of Railways employees, Medical de-categorisation and absorption of medically de-categorised staff.
6. Loans and advances available to Railway employees.
7. Man-power planning:–
   (a) Vacancy Bank Register.
   (b) Bench-Marking.
   (c) Creation of posts.
   (d) Supernumerary posts.
   (e) Redeployment of surplus staff.
8. Uniform Policy:–
   (a) Eligibility of staff.
   (b) Periodicity of supply of uniform.
   (c) Procedure for change in classification.
9. Pay and allowances.
10. Pass Rules.
11. Railway Pension Rules.
12. Leave Rules.
13. Grievances Redressal Machinery.
14. Recognition of Trade Unions, Permanent Negotiation Machinery, Dealing with unrecognized Unions/Associations, facilities to office-bearers of Recognized Unions/Associations.
15. General conditions of service.
16. RELHS.
17. RTI.
18. LARSGESS.
19. Labour laws.

Note:– (i) Questions set in the paper will be normally to assess the writing and analytical power of the Candidates with respect to various topics as above.

(ii) In terms of para 7(I) (v) of Railway Board's letter No. E(NG)108/PM1/7 dated 20.10.1999 Circulated vide RBE No. 272/1999, atleast 10% of the total marks prescribed for the written test should be on Official language policy and Rules.

****

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर

Annexure-'B'

PERFORMA

Application for the post of Chief Staff & Welfare Inspector in Pay Band-2, GP Rs. 4600/-, Level-7 against 20% LDCE Quota.

Attested Photograph

1. Name of the Employee :–
2. Date of Birth :–
3. Date of Appointment :–
4. Present Designation :–
5. Previous Grade :–
6. Date of entry in the present GP :–
7. Regular two (2) years completed in present GP as on :–
8. Date of entry in previous GP :–
9. Whether belonging to SC/ST:–
10. Educational Qualification :–
11. Other Qualification for fulfilling eligibility criteria:–
12. Working Place/Division/Unit:–

I am willing to take up assignment of Chief Staff & Welfare Inspector anywhere in the East Central Railway and I will not ask for repatriation to my parent cadre i.e. I understand that my connection with my parent cadre will be severed for all.

Date:-

Signature of the applicant

Verified and certified as correct. The applicant strictly fulfils the eligibility criteria.

Controlling Officer.

Personnel Branch Officer

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर